## **GOVERNMENT OF RAJASTHAN** FINANCE DEPARTMENT (TAX DIVISION)

## **NOTIFICATION** Jaipur, February 10, 2023

In exercise of the powers conferred by section 16 of the Rajasthan Finance Act, 2020 (Act No. 9 of 2020) and in supersession of this department's notification number F.6(2)FD/Tax/2019-149 dated 30.03.2020, as amended from time to time, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby specifies the class of lands and rate of tax payable on such lands for each year, as mentioned in table given below:-

#### Table

S.No.	Class of Lands	Rate of Land Tax
1	2	3
1.	All types of taxable lands upto 10,000 sq. meter	Zero tax
2.	Any part of taxable land above 10,000 sq. meter, use of	Zero tax
	which has not been allowed by the allotting authority to the	
	landholder and such restriction has been mentioned in the	
	lease, licence, grant or any other title deed	
3.	Lead-Zinc bearing land above 10,000 sq. meter	Rs. 7.5 per sq. meter
4.	Copper bearing land above 10,000 sq. meter	Rs. 7.5 per sq. meter
5.	Rock-Phosphate bearing land above 10,000 sq. meter	Rs. 12.5 per sq. meter
6.	Cement and SMS grade limestone bearing land above	Rs. 3 per sq. meter
	10,000 sq. meter	
7.	Other major mineral bearing land above 10,000 sq. meter	Rs. 1.5 per sq. meter
8.	Dolomite, Felspar, Fullers earth, Jaispar, Granite, Gypsum,	Rs. 1 per sq. meter
,	limestone (other than cement & SMS grade lime stone),	
	marble or quartz bearing land above 10,000 sq. meter	
9.	Other minor mineral bearing land above 10,000 sq. meter	Rs. 0.10 per sq. meter
10.	Commercial lands above 10,000 sq. meter	Rs. 1.5 per sq. meter
11.	Industrial lands above 10,000 sq. meter	Rs. 1 per sq. meter
12.	Lands above 10,000 sq. meter being held by a tourism unit	Rs. 1 per sq. meter
	as defined in the Tourism Policy/Scheme or Rural Tourism	
	Policy/Scheme issued by the State Government, from time	
	to time	

[No.F.4(2)FD/Tax/2023-39] By order of the Governor,

(Namrata Vrishni)

Joint Secretary to the Government

# राजस्थान सरकार वित्त विभाग (कर अनुभाग) अधिसूचना जयपुर, फरवरी 10, 2023

राजस्थान वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम सं. 9) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना संख्यांक प.6(2)वित्त/कर/2019-149 दिनांक 30.03.2020 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, नीचे दी गयी सारणी में यथावर्णित भूमियों के वर्ग और प्रत्येक वर्ष के लिए ऐसी भूमियों पर संदेय कर की दर इसके द्वारा विनिर्दिष्ट करती है:-

## सारणी

क्र. सं.	भूमियों के वर्ग	भूमि कर की दर
1	. 2	3
1.	10,000 वर्गमीटर तक की सभी प्रकार की कराधेय भूमियां	शून्य कर
2.	10,000 वर्गमीटर से अधिक कराधेय भूमि का कोई भाग, जिसका उपयोग भूधारक को आबंटन प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात नहीं किया गया है और ऐसे निर्बंधन का पट्टा, अनुज्ञिस, अनुदान या किसी अन्य हक विलेख में उल्लेख किया गया है	श्र्न्य कर
3.	सीसा-जस्ता युक्त 10,000 वर्गमीटर से अधिक भूमि	7.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर
4.	तांबा युक्त 10,000 वर्गमीटर से अधिक भूमि	7.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर
5.	राक फास्फेट युक्त 10,000 वर्गमीटर से अधिक भूमि	12.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर
6.	सीमेंट और एसएमएस ग्रेड चूना पत्थर युक्त 10,000 वर्गमीटर से अधिक भूमि	3 रुपये प्रति वर्ग मीटर
7.	अन्य मुख्य खनिज युक्त 10,000 वर्गमीटर से अधिक भूमि	1.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर
8.	डोलोमाइट, फैलस्पार, फुलर्स अर्थ, जैस्पर, ग्रेनाइट, जिप्सम, चूना पत्थर (सीमेंट और एसएमएस ग्रेड चूना पत्थर से भिन्न), संगमरमर या क्वार्टज युक्त 10,000 वर्गमीटर से अधिक भूमि	1 रुपया प्रति वर्ग मीटर
9.	अन्य गौण खनिज युक्त 10,000 वर्गमीटर से अधिक भूमि	0.10 रुपये प्रति वर्ग मीटर
10.	10,000 वर्गमीटर से अधिक वाणिज्यिक भूमियां	1.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर
11.	10,000 वर्गमीटर से अधिक औद्योगिक भूमियां	1 रुपया प्रति वर्ग मीटर

राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी पर्यटन नीति/स्कीम । रुपया प्रति वर्ग मीटर 12. या ग्रामीण पर्यटन नीति/स्कीम में यथापरिभाषित पर्यटन इकाई द्वारा धारित की जा रही 10,000 वर्गमीटर से अधिक भूमियां

[प.4(2)वित्त/कर/2023-39]

राज्यपाल ्रके आदेश से,

संयुक्त शासन सचिव